राष्ट्रीय लोक अदालत में 1860 मुकदमे निस्तारित

नैनीताल हाई कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में केस की सुनवाई करते रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त ● जागरण

जासं, नैनीताल : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हाई कोर्ट समेत जिला व तहसील अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें नियम 4378 में से 1860 वादों का निस्तारण कर छह करोड़ 30 लाख से अधिक समझौता राशि दिलाई गई जबकि प्री-लिटिगेशन के 5668 में से 502 वादों का निपटारा कर पांच करोड़ 36 लाख से अधिक समझौता राशि तय की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में हाई कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त, रजिस्ट्रार अनुज कुमार संगल द्वारा 18 वाद निस्तारित कर पीड़ितों को करीब 94 लाख समझौता राशि दिलाई गई। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा में 95, बागेश्वर में पांच, चमोली में दस, चम्पावत में 33, देहरादून में 1018, हरिद्वार में 342, नैनीताल में 83, पौड़ी में 88, पिथौरागढ़ में 26, रुद्रप्रयाग में 23, टिहरी में 18, ऊधमसिंह नगर में 46, उत्तरकाशी में 55 वादों का निस्तारण किया गया। हाई कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में राज्य विधिक सेवा समिति के सचिव मनोज गर्ब्याल, बार एसो. उपाध्यक्ष गौरा देवी देव, बिन्देश गुप्ता, प्राधिकरण के रमाकांत आदि रहे।